न्यायालय जिला कलक्टर करौली

(2)

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र कन्हैयालाल उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी–ग्राम पंचायत रोधई, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2020 के अंतर्गत।

निर्णय

दिनांक 22.03.2021

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2020 को तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान 1/2 भाग रोंधई के दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण तक बंद पाये जाने एवं भौतिक सत्यापन करने पर 8.80 क्विं. गेंहू कम पाये जाने तथा 1/2 भाग नींदर पर 34.31 क्विं. गेंहू कम पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 09.04.2020 को जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा निलंबित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत रोधई, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) के 1/2 भाग की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 930/92 है एवं प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत रोधई के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श–1 पर प्रस्तुत है। विवादित आदेश दिनांक 06.07.2020 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाईट न जल उठे)। किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो

जिला कलक्टर
करौली

भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है । इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है । इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन–देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है। आदेश दिनांक 05.08.2016 एवं 24.03.2017 की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत है। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये बिना ही अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये निरस्त कर दिया जो कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 26.07.2020 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण तहसीलदार मण्डरायल द्वारा दिनांक 06.04.2020 को प्रार्थी की मूल दुकान ग्राम पंचायत रोधई एवं अस्थाई अटैच ग्राम पंचायत नींदर भाग 1/2 की जांच की गई जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। तत्पश्चात् प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल द्वारा दिनांक 08.04.2020 को पुनः प्रार्थी की मूल दुकान एवं अस्थाई अटैच नींदर भाग 1/2 की जांच की गई जिसके निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 08.04.2020 के अनुसार प्रार्थी की मूल दुकान में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री मौजूद पाई गई एवं उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा भी डीलर की वितरण व्यवस्था को संतोषजनक माना गया एवं उपस्थित सरपंच प्रतिनिधि द्वारा भी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को नियमानुसार निःशुल्क वितरण करना माना गया, बावजूद इसके बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.04.2020 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया जाकर दिनांक 09.04.2020 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 06.04.2020 एवं दिनांक 08.04.2020 की फोटोप्रति प्रदर्श–4 एवं प्रदर्श–5 तथा निलंबन आदेश दिनांक 09.04.2020 एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.04.2020 की फोटोप्रतियां प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 संलग्न प्रस्तुत हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि कारण बताओ नोटिस में मुख्य आरोप 8.80 क्विं. गेंहू एवं अटैच दुकान नींदर भाग 1/2 पर 34.31 क्विं. गेंहू कम पाये जाने का आरोप लगाया गया जिसके बाबत् प्रार्थी द्वारा लॉकडाउन के कारण दिनांक 14.04.2020 को जरिये ई–मेल जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रार्थी की दुकान में स्टॉक के मुताबिक गेंहू की मात्रा पूरी मौजूद थी एवं प्रार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक 175 क्विं. गेंहू जो प्रार्थी को जरिये बिल दिनांक 04.04.2020 को प्राप्त हुआ एवं 78 किलो चीनी जो पोश मशीन के स्टॉक में अवशेष थी, को प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार राधामोहन मीना 1/2 भाग रोधई को सुपुर्द कर दी गई। इसी प्रकार अस्थाई अटैच नींदर के भाग 1/2 के पोश मशीन के स्टॉक के अनुसार वरवक्त जांच 229.45 किलो चीनी एवं 16.21 क्विं. गेंहू अवशेष था एवं प्रार्थी को जरिये बिल दिनांक 31.03.2020 एवं 04.04.2020 के जरिये क्रमशः 102 एवं 113.11 क्विं. गेंहू प्राप्त हुआ जिसको प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत नींदर के 1/2 भाग के डीलर सामन्ता मीना को सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

स्टॉक मुताबिक सम्पूर्ण अवशेष रसद सामग्री को दोनों अटैच डीलरों को सुपुर्द कर दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद भी प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ जिला रसद अधिकारी करौली को उपलब्ध करवा दी गई एवं दिनांक 12.06.2020 के प्रार्थना पत्र के साथ पुनः जवाब की प्रति मय प्राप्ति रसीद की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उपलब्ध करवा दी गई। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर दण्ड देते हुये अपने आदेश दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जवाब दिनांक 14.04.2020 मय प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2020 मय दस्तावेजात् की फोटो प्रति संयुक्त रूप प्रदर्श–8 संलग्न प्रस्तुत है। अतः विवादित आदेश दिनांक 06.07.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। अपीलार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं अपीलार्थी के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कोई जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी एवं ना ही दस्तावेजात आदि उपलब्ध करवाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा गोदाम में मौजूद 175 क्विं. गेंहूं 229 किलोग्राम चीनी अटैच डीलर को सुपुर्द कर दी गई। इसके अतिरिक्त निरीक्षण प्रपत्रों में कांट–छांट की गई है जो अनुचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार की राशन दुकानों की जांच दिनांक 06.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे 1/2 भाग रोंधई व समय दोपहर 2.10 बजे 1/2 भाग नींदर (अस्थायी) की जांच की गई। दौराने जांच उक्त राशन डीलर द्वारा रोंधई भाग 1/2 दुकान को दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण दिनांक 06.04.2020 तक उचित मूल्य दुकान को नहीं खोलना पाया गया। वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने पर राशन डीलर को फोन करके बुलाया गया एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 18.80 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 10 क्विं. गेंहूं ही मौके पर पाये गये अर्थात् 8.80 क्विं. गेंहूं कम पाये गये। उक्त राशन डीलर की अस्थायी दुकान नींदर भाग 1/2 की जांच के दौरान पोश मशीन में दर्ज 47.31 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 13 क्विं. गेंहूं ही मौके पर पाया गया अर्थात् 34.31 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा वक्त जांच निरीक्षण प्रपत्र भरा गया है जिसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिस पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर भी हैं। इससे अपीलार्थी गेंहूं की तौल करने या फर्द मौका तैयार नहीं करने की दलील नहीं दे सकता। तत्समय कोविड–19 लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं को राशन सामग्री तुरंत वितरण करने के आदेश थे। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा राशन दुकान को बंद रखकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखना, मूल भाग में 8.80 क्विं. गेंहूं एवं अटैच भाग में 34.31 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग करने की अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 09.04.2020 को निलंबित किया गया था। निलंबन उपरांत अपीलार्थी राशन डीलर को नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसके द्वारा वक्त जांच तहसीलदार द्वारा फर्द मौका तैयार नहीं करना, पोस मशीन में दर्ज सामग्री का वक्त जांच दुकान में मौजूद होना एवं अटैच डीलर को समस्त राशन सामग्री हस्तांतरित करना बताया था। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा बाद में "बाद की सोच" से समस्त राशन सामग्री अटैच डीलर को सुपुर्द की गई है। राशन प्राधिकार पत्र निलंबित करने के 90 दिवस के अंदर निलंबन पर अंतिम निर्णय पारित करने के प्रावधान हैं। निलंबन आदेश 09.04.2020 का होने के कारण दिनांक 09.07.2020 से पूर्व राशन प्राधिकार पत्र के निलंबन पर अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक था। अतः अपीलार्थी द्वारा की गई उक्त अनियमितताओं, अपीलार्थी के द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। निरीक्षण प्रपत्रों में योग के कॉलम में सहवन से गलत योग लग गया था जिसे सही किया गया है। स्टॉक की मात्रा सही दर्ज की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा दिनांक 06.04.2020 को अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान रोंधई भाग 1/2 की दोपहर 12.00 बजे एवं अस्थायी दुकान नींदर भाग 1/2 की दोपहर 2.10 बजे निरीक्षण किया गया था। दोनों ही दुकानों के निरीक्षण प्रपत्र भरे गये हैं जिनमें निरीक्षण का दिनांक, समय, कम पाये गई राशन सामग्री आदि सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है एवं निरीक्षण प्रपत्रों पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षण प्रपत्रों के अनुसार अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान रोंधई भाग 1/2 दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण तक बंद पायी गई। वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर को फोन कर बुलाया गया एवं दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 18.80 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 10 क्विं. पाया गया अर्थात् 8.80 क्विं. गेंहूं कम पाया। इसी प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की अस्थायी राशन दुकान नींदर भाग 1/2 का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 47.31 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 13 क्विं. गेंहूं की मौके पर पाया गया अर्थात् 34.31 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। तत्समय वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण किये जाने के आदेश थे लेकिन अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा रोंधई भाग 1/2 की दुकान को बंद रखकर उपभोक्तओं को राशन सामग्री से वंचित रखना गंभीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राशन डीलर की दुकानों पर 8.80 क्विं. गेंहूं व 34.31 क्विं. गेंहूं कुल 43.11 क्विं. गेंहूं कम पाया जाना भी गंभीर अनियमितता है। निरीक्षण प्रपत्रों पर राशन अपीलार्थी राशन डीलर के स्वयं के हस्ताक्षर होने से अपीलार्थी राशन डीलर गेंहूं की तोल करने, फर्द मौका तैयार नहीं करने की दलील नहीं दे सकता। निरीक्षण प्रपत्रों में दर्ज मात्रा में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं है। केवल गलत लगे योग को सही किया गया है जो कि उचित है। राशन प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस के अंदर निलंबन आदेश पर अंतिम निर्णय पारित करना आवश्यक होने के कारण दिनांक 06.07.2020 को निलंबन आदेश पर अंतिम निर्णय पारित करने में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अतः हम जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2020 में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2020 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली